प्रभुजी उर्फ श्री किशन vs राज० सरकार
मु० नं० 134/2024 (प्रा. पत्र)

दिनांक: 22.11.2024

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं सरकार पैरोकार उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सांथा तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 2437 व 2458 साबिक खसरा नम्बर 614 से बने है। खसरा नम्बर 614 व उसके आसपास में साबिक नक्शा में ना तो कोई रास्ता को दिखाया गया, ना ही आबादी भूमि को दिखाया गया है। खसरा नम्बर 614 में नक्शे में कोई आवादी भूमि नहीं थी ना ही रास्ता था। साबिक खसरा नम्बर 484 आबादी का नम्बर था जिसका प्रार्थी की भूमि से कोई संबंध नहीं था। अप्रार्थी ने प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2437 व 2458 में होकर गैर मुमकिन रास्ता का खसरा नम्बर 2423 रकबा 0. 18 हैक्टर निकाल कर अंकित कर दिया और साबिक खसरा नम्बर 484 से खसरा नम्बर 2423 गैर मुमकिन रास्ता बना दिया जबकि खसरा नम्बर 484 का इन्द्राज उस स्थान पर नहीं था जहॉ अब खसरा नम्बर 2423 राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेश में बताया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि समस्त कार्यवाही गलत एवं विधि के प्रतिकूल है। साबिक खसरा नम्बर 614 के सामने खसरा नम्बर 806 व 807 के मध्य में होकर कोई रास्ता साबिक नक्शा ट्रेश में अंकित नहीं है ना ही खसरा नम्बर 484 का अंकन खसरा नम्बर 806 व 807 में अंकित है। खसरा नम्बर 614 का रकबा मौके पर तकरीबन 10 ऐयर भूमि कम हो गई है,जिससे आज मौके पर 10 ऐयर भूमि रिकार्ड में कम नहीं की गई है।प्रार्थी के खसरा नम्बर 2437, 2458 व 2421, 2416 के मध्य पुख्ता बाउण्ड्री हो रही थी पूरी बाउण्ड्री को छोडकर आज नक्शा ट्रेश में हमारे खेत खसरा नम्बर 2437 व 2458 में होकर रास्ता बना दिया है जिससे प्रार्थी को उसके खाते की भूमि से विधि के प्राधिकार के बिना बेदखल करने का प्रयास किया गया है जो अनुच्छेद 300–क का उल्लंघन है अवैद्य है संविधान के विपरीत है। दिनांक 22.10.2024 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपने अन्य विभागीय कर्मचारियों को लेकर साथ में लेकर ट्रेक्टरों में मोरम भरकर लाऐ और मौरम डाल दी एवं मना किया तो नहीं माने कहा कि हमने मोरम 2423 में डाली और रास्ता बनाने का कुप्रयास किया जबकि नक्शे में कोई रास्त नहीं था ना ही उस स्थान पर खसरा नम्बर 484 अंकित था। अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी में होकर रास्ता निकाल दिया तो प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया केश एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 2437, 2458 में होकर अप्रार्थी सडक

Manish

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

निकालने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर जाहिर किया है कि खसरा नम्बर 2437 व 2458 बाके ग्राम सॉथा तहसील महवा वादीगण की सहखातेदारी की आराजी है जो साबिक खसरा नम्बर 614मि. में से बने है जो पूर्व से ही वादीगण की सहखातेदारी में मुताबिक साबिक रिकार्ड दर्ज है तथा खसरा नम्बर 2423 रकबा 0.18 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता खाता सं. 1 में (राजकीय भूमि)दर्ज है। साबिक रिकार्ड में यह खसरा नम्बर 2423 साबिक खसरा नम्बर 484 से बना है। अतःखसरा नम्बर 2423 रकबा 0.18 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं रहा है एवं प्रार्थना पत्र गलत तहरीर किया है जो सरकारी भूमि गै.मु. रास्ता को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है जो नियमानुसार गलत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार महवा की रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2423 रकबा 0.18 हैक्टर की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज है जिसे नजरअंदाज नहीं जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा राजहित में स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व करने में असफल रहे है इसलिये इनका प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खसरा नम्बर 2437 व 2458 ग्राम सांथा तहसील महवा प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल बाद संलग्न रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा

महवा जिला दौसा